# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी लूणी

## पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया– आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 52 / 2018

वादीगण –

01 रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपूत, उम्र 62 वर्ष, निवासी– ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

02 दरियाव कंवर पत्नी भीखसिंह, जाति राजपूत, उम्र 68 वर्ष, निवासी ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

03 पारस कंवर पुत्री भीखसिंह पत्नी श्री शक्तिसिंह, जाति राजपूत, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. उदयकंवर पत्नी जालमसिंह
2. दुर्गाकंवर पुत्री श्री जालमसिंह
3. छगनकंवर पत्नी भवानीसिंह
4. राणुसिंह पुत्र भवानीसिंह
5. जितेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह
6. उमरावसिंह पुत्र भवानीसिंह
7. सुगनकंवर पुत्री भवानीसिंह
8. सरदारकंवर पत्नी बाघसिंह
9. गायड़सिंह पुत्र बाघसिंह जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

खातेदार घोषित करने हेतु घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

वादीगण अधिवक्ता – श्री प्रहलाद सिंह राजपुरोहित उपस्थित।
प्रतिवादीगण अधिवक्ता – की ओर से सुचना बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय दिनाँक 01/01/2025

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बर खिलाफ निर्णय व डिक्री हाजा अदालत के दिनांक 02.08.2022 राजस्व मूल वाद संख्या 52/2018 रामसिंह व अन्य बनाम उदय कंवर वगैरा में निर्णय दिनांक 14.09.2023 के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ हाजा न्यायालय द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 52/2018 अनवान रामसिंह व अन्य बनाम उदय कंवर वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.08.2022 खारिज किया, प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि वह मामलें में प्रतिवादीगण से जवाब लेकर दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम कर उस पर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय से पत्रांक /2023/2006 दिनांक 10.10.2023 के द्वारा पत्रावली प्राप्त हुई, आदेशानुसार वाद को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई वास्ते एवं गवाह हेतु अवसर के लिये सम्मन रजिस्टर्ड एडी से भिजवाये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के सम्मन तामिल होकर प्राप्त हुये जो शामिल पत्रावली किये गये, प्रतिवादीगण को न्यायहित में जवाब वास्ते अनेकानेक अवसर दिये गये, परन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया। साक्ष्यवादी के शपथ पत्र पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। साक्ष्यवादी से जिरह वास्ते भी अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये। इस कारण से वाद में तनकियात कायम नही की गयी।

वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अधिनियम 1955 का पेश कर कथन किया कि वादीगण के पूर्वज की जमीन खेत खसरा संख्या 282 रकबा 25.05 बीघा, खसरा संख्या 579 रकबा 10.18 बीघा व खसरा संख्या 366 रकबा 8.08 बीघा भूमि कुल खसरा 3 कुल रकबा 44.11 बीघा भूमि वाके ग्राम सर पटवार क्षेत्र संरेचा तहसील लूणी में आये हुये है। उक्त खसरों में पूर्वज प्रतापसिंह के हिस्से में 1/2 हिस्से की भूमि आती है, जिस पर कब्जा–काश्त वादीगण करते आ रहे है। वादीगण के पूर्वज प्रतापसिंह की मृत्यु हो गई तथा इनके तीन संतान है उनमें से रामसिंह, भीखसिंह व सिमरथ सिंह है, जिसमें से भीखसिंह का देहांत हो चुका है जिसके जायन्दा वारिसान दरियाव कंवर व पारस कंवर है। वक्त सेटलमेंट से पूर्व ही भूमि खसरा संख्या 282 व 579 पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज भोपाल सिंह बतौर जागीरदार काश्त करते है। जिनके दो पुत्र रावतसिंह व प्रतापसिंह थे। भोपाल सिंह की मृत्यु के पश्चात् रावतसिंह बड़ा भाई होने के कारण सेटलमेंट के बाद उक्त भूमि में अधिकारियों से मिली भगत कर बिना जांच किये गलत तरीके से खसरा संख्या 282 व 579 की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया है जो विधि विरूद्ध है जबकि प्रत्येक का हिस्सा आता है वादीगण के खातेदारी अधिकार जन्म से ही थे, जिसका प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाने का कोई हक अधिकार नही हैं। वादीगण के पिता अनपढ़ थे वादीगण को राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम दर्ज करवाने हेतु कई बार प्रतिवादीगण से कहा परंतु प्रतिवादीगण ने आज दिन तक राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज नही करवाया। अतः वादीगण के पास वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रह गया है। वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आज्ञाप्तिक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित कर यह घोषणा की जावें कि वादीगण खसरा संख्या 282 व 579 ग्राम सर तहसील लूणी उक्त खसरों में बराबर–बराबर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का न्यायोचित आदेश फरमावें। साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण 1 से 9 उपरोक्त खसरान् में किसी प्रकार का

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

हस्तक्षेप व भूमि अन्तरित नहीं करें जहां तक वादग्रस्त भूमि का निस्तारण नही हो। अन्य कोई दादारसी जो वादीगण के पक्ष में सादिर फरमायी जावें।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादीगण ने वाद तथ्यों को दोहरातें हुये कथन किया कि वाद पत्र पर दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है जो यह प्रकट करते है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है एवं वादीगण के पूर्वज का नाम वादग्रस्त भूमि पर बतौर काश्तकार दर्ज है वादीगण द्वारा न्यायालय में भली–भांति साबित किया गया कि खसरा संख्या 366 की भूमि भी पुश्तैनी थी, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज है। वादीगण द्वारा जो अभिवचन  दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। वे पूर्णतः अखण्डित है। वादीगण ने मारवाड़ गवर्नमेंट के समय के एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करके यह बखूबी साबित किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि का लगान समय–समय पर रावतसिंह एवं प्रतापसिंह दोनों द्वारा अदा किया गया है एवं मौके पर भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा बराबर दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यों का न तो कोई जवाब दिया एवं न ही साक्ष्य का खण्डन किया। वादीगण वादग्रस्त आराजी में बतौर काश्तकार बराबर बराबर हिस्से में निरन्तर काबिज काश्त है , इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण अकेले के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी में बराबर हिस्से के खातेदार होने की घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। अंत में वादीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद वादीगण स्वीकार फरमावें तथा वादीगण का वाद माफिक अनुतोष डिक्री किया जावें।

प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद सूचना के कोई जवाब नही दिया गया तथा न ही कोई उपस्थित हुये।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन एवं विश्लेषण किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आधोपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध लगान रसीदात् संवत् 2023 में रावतसिंह पुत्र भोपालसिंह वगैरा, संवत् 2022, 2026, 2029 एवं 2023 में काश्तकार से प्राप्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

लगान रसीद में रावतसिंह , प्रतापसिंह पि0 भोपालसिंह राजपूत इन्द्राज है इसी तरह संवत् 2025, 2028 से 2034 तक लगान रसीद में रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत इन्द्राज है, तत्पश्चात् संवत् 2045, 2046 व 2047 की रसीद में भी वादी रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह इन्द्राज है। इन लगान रसीदों के मुताबिक वादीगण रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह, रावतसिंह, प्रतापसिंह पिता भोपालसिंह द्वारा समय–समय पर वादग्रस्त आराजीयात् की लगान राशि राज्य सरकार को अदा किया जाना पाया गया। जिससे स्पष्ट होना प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि का लगान वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा सामलाती रूप से अदा किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र के मुख्य परीक्षण में वादग्रस्त आराजी को भोपालसिंह के दोनों पुत्रों रावतसिंह एवं प्रतापसिंह का बराबर–बराबर हिस्सा हक माना है एवं बराबर–बराबर हिस्सा पर निरन्तर कब्जा–काश्त चला आ रहा माना है। इसी तरह मिसल बदोंबस्त अनुसार खसरा संख्या 366 रकबा 8.08 बीघा भूमि रावतसिंह प्रतापसिंह पिता भोपालसिंह दर्ज है। रावतसिंह प्रतापसिंह सगे भाई होने से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि सामलाती व पैतृक सम्पति है। पैतृक भूमि होने से विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का 1/2 हिस्सा बनता हैं। इसी तरह तहसीलदार लूणी के पत्रांक भू/अ./2024/3791 दिनांक 10.12.2024 के संलग्न हल्का पटवारी की मौका फर्द दिनांक 06.12.2024 के अनुसार भी विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण सहित वादीगण के पूर्वज प्रतापसिंह के विधिक वारिसान् का 1/2 हिस्से पर कब्जा–काश्त होना पाया गया। इससे भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि शामलाती एवं पैतृक भूमि हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

लिहाजा उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रेकर्ड एवं तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम सर के खसरा संख्या 282 रकबा 25.05 बीघा एवं खसरा संख्या 579 रकबा 10.18 बीघा में 1/2 हिस्से का वादीगण सहित वादीगण के पूर्वज प्रतापसिंह के विधिक वारिसान् को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर लूणी

निर्णय आज दिनांक 01/01/2025 खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर लूणी

# डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

**(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)**

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी**

**पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस**

**राजस्व वाद संख्या : 52/2018**

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 01. रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपूत, उम्र 62 वर्ष, निवासी–ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।<br>02. दरियाव कंवर पत्नी भीखसिंह, जाति राजपूत, उम्र 68 वर्ष, निवासी ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।<br>03.पारस कंवर पुत्री भीखसिंह पत्नी श्री शक्तिसिंह, जाति राजपूत, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर। | | 1. उदयकंवर पत्नी जालमसिंह<br>2. दुर्गाकंवर पुत्री श्री जालमसिंह<br>3. छगनकंवर पत्नी भवानीसिंह<br>4. राणुसिंह पुत्र भवानीसिंह<br>5. जितेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह<br>6. उमरावसिंह पुत्र भवानीसिंह<br>7. सुगनकंवर पुत्री भवानीसिंह<br>8. सरदारकंवर पत्नी बाघसिंह<br>9.गायड़सिंह पुत्र बाघसिंह<br>जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम सर,तहसील लूणी, जिला जोधपुर।<br>10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी। |

दावा अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी 1955 मुकदमा नम्बर 52/2018 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण व वादीगण के पूर्वज प्रतापसिंह के समस्त वारिसान् ग्राम सर तहसील लूणी के खसरा संख्या 282 रकबा 25.5 बीघा एवं खसरा संख्या 579 रकबा 10.18 बीघा में से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण के साथ–साथ घोषित किया जाता है एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जा–काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें व किसी अन्य से नही करावें। प्रतिवादीगण का हिस्सा यथावत 1/2 हिस्सा रहेगा। राजस्व रेकार्ड मे इन्दाज किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है।

नीज.................... मुबलिक......................बाबत..........................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह..............................फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक..........................................को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख..01/01/2025 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी